**आदेश के फेरफार के लिए धारा 151, सि. प्र. सं. के अधीन आवेदनपत्र**

उच्च न्यायालय.......

सी. एम. सं..........................सन्..........

इन

सी. एम. सं....... सन्...

के मामले में

**अबक**  ........ याची

**बनाम**

**कखग**  .........प्रत्यर्थी

यथा पूर्वस्थिति के बारे में अंतरिम आदेश दिनांकित......के फेरफार के लिए याची की ओर से धारा 151 सि. प्र. सं. के अधीन आवेदन पत्र जहां तक याची का सम्बन्ध है। अतिसादर पूर्वक निम्नलिखित प्रदर्शित करता है

1. यह कि याची के सदस्य के विस्थापित किये गये सदस्य जो विभाजन पर भारत आये। उनके पास रहने का कोई स्थान नहीं था। सोसाइटी ने...................में एक आवासिक स्थान रखने के लिए इसके सदस्यों को भूमि आबंटित करने के लिए सरकार से प्रार्थना किया।
2. यह कि सरकार विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भूमि का अर्जन करना पहले से ही प्रारम्भ कर दिया था। अर्जन "विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास (भूमि अर्जन) अध्यादेश 4 (1948 का Xx) उस बारे में अधिसूचना गाँव........................................में...................एकड़ से अधिक होने वाली भूमि, अर्जन पर............ ................ को जारी की गयी। अर्जन पर भूमि सभी विल्लंगमों से स्वतंत्र सरकार में निहित हो गयी।
3. यह कि तात्कालिक मामला...........और खसरा सं०.......................................में भूमि को अन्तर्ग्रस्त करता है जो खसरा........ एवम्.................के योग को परिवेष्ठित करता है।
4. यह कि विवादग्रस्त भूमि को सम्मिलित कर मूल रूप से...... एकट भमि..................में याची को आबंटित कर दी गयी। इस प्रकार की भूमि रद्द कर दी गयी और याची ने इस आदरणीय न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की गयी। निर्णय दिनांकित...............द्वारा आदरणीय न्यायमूर्ति............. ने रिट याचिका अनुज्ञात कर दी। मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा ग्रहण किया गया और सहमति आदेश द्वारा कम किये गये क्षेत्र को सोसाइटी...................को दिया गया।................... रुपये की एक रकम का सोसाइटी द्वारा भुगतान किया गया।
5. यह कि शाश्वत पट्टा भारत के राष्ट्रपति द्वारा याची के पक्ष में निष्पादित किया गया। अतएव, याची सोसाइटी ने ज्येष्ठता इत्यादि से सम्बन्धित विवादों, अनेक सदस्यों, गैर सदस्यों के आबंटन के अधिकार के बारे में अनगिनत मामलों का सामना किया। वास्तव में सोसाइटी ने सिविल प्राधिकारियों एवम् डी0 टी0 सी0 द्वारा अधिक्रमण भी के मामलों का सामना किया। आगे और अधिक अभी भी कतिपय लम्बित मामले हैं।
6. यह कि अन्ततोगत्वा आदरणीय न्यायालय ने सदस्यों के बीच अधिकांशतः मामलों का निपटारा किया। यह................में मात्र हुआ कि ढेर में से निकालना अभिनिर्धारित किया जा सकता था।
7. यह कि रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी व अन्य से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् याची ने आगे की ओर................... वर्ष से अन्ततोगत्वा व्यक्तिगत सदस्यों की बावत सरकार द्वारा शाश्वत उप-पट्टों के निष्पादन पर कब्जा सौंपना प्रारम्भ कर दिया।
8. यह कि.................सदस्यों के योग में से...................से अधिक को वास्तव में पट्टों का निष्पादन किया जा चुका है, कब्जे का परिदान किया जा चुका है और वास्तव में, सदस्यों ने भवनों का निर्माण कराया है और कतिपय भवन के प्रक्रिया में है। मूल विकास को चूंकि नाला लाइन, जल लाइन टेलीफोन लाइन इत्यादि के प्रारूप में पूरा किया जा चुका है। अनेक क्रियाकलाप स्थल पर चल रहे हैं।
9. यह कि तात्कालिक मामलों में विवाद का सृजन प्रत्यर्थी सं....................द्वारा किया जा चुका था जिसने एक कब्रगाह के रूप में खसरा सं................... को.................. तथा................... को घोषित करने वाली एक अधिसूचना जारी किया है। घोषणा पूर्णतया अवैधानिक है और 40 वर्ष पहले सरकार में सभी विल्लंगमों से स्वतंत्र भूमि को निहित करने के पश्चात् वक्फ बोर्ड द्वारा किसी ऐसी घोषणा का कोई प्रश्न नहीं है।
10. यह कि वास्तव में, यह इस बारे में ज्ञात नहीं है कि जहाँ यह भूमि ठीक ढंग से संपूर्ण क्षेत्र में आती है। प्रत्यर्थी सं. ने पुलिस की उपस्थिति में एक विशेष स्थान को बताया था और कथित क्षेत्र के अन्तर्गत पांच विशिष्ट भूखण्डों के क्षेत्र आते हैं जहाँ कोई भी निर्माण यथा पूर्वस्थिति के कारण सोसाइटी द्वारा अनुज्ञात नहीं किया जा रहा है। उन्हें निर्माण करने से रोक दिया जाता है जबकि खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।
11. यह कि ऊपर तथ्यों के निर्माण को ध्यान में रखकर यह यथा स्थिति पूर्व के आदेश द्वारा आबद्ध किये जाने वाली याची के लिए सर्वाधिक साम्यापूर्ण होता है वास्तव में याची यह निवेदन करता है कि वक्फ वोर्ड की अधिसूचना रिट याचिका के निस्तारण तक स्थगित कर दी जाय और अंतरिम आदेश तद्नुसार उपांतरित कर दी जाय।
12. यह कि याची यह निवेदन करता है कि तात्कालिक आवेदन पत्र सद्भावना और न्यायहित में प्रस्तुत की जा रही है।

अतएव यह अति सादरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह आदरणीय न्यायालय यथापूर्व स्थिति के अंतरिम आदेश दिनांकित............... में फेर फार करने के लिए प्रसन्न हो तथा यथापूर्व स्थिति के आदेशों से निर्मोचित कर दिया जाय।

**स्थान ........**

**तारीख........**

**याची**

**जरिये**

**अधिवक्ता**